फा स. ई-12012/1/2015-हिन्दी (94107)

रोजगार महानिदेशालय

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

भारत सरकार

हिंदी अनुभाग

335-सी, सी विंग, तृतीय तल

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 04 मार्च, 2025

विषय : दिनांक 10 मार्च, 2025 को सायं 3.00 बजे से 5.30 बजे तक 'राजभाषा हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग और हिंदी टाइपिंग टूल्स' विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इनमें दो वर्षों के अंतराल में लगभग सभी कर्मचारियों को कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

2. रोजगार महानिदेशालय में दिनांक **10.03.2025 (सोमवार)** को **सायं 3.00 बजे से 5.30 बजे** तक सम्मेलन कक्ष, सी विंग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 'राजभाषा हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग और हिंदी टाइपिंग टूल्स' विषय पर एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

3. आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक अनुभाग हिंदी कार्यशाला में भाग लेने के लिए किन्ही दो प्रतिभागियों का नामांकन (संलग्न प्रोफॉर्मा में) **दिनांक 06.03.2025** तक हिंदी अनुभाग की ई मेल hindiunit335@ymail.com पर प्रेषित करें।

अनुलग्नक : यथोपरि।

सहायक निदेशक (रा भा)

दूरभाष संख्या 011-23473165 (2165)

सेवा में,

रोजगार महानिदेशालय के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी

<u>नामांकन प्रपत्र</u>

रोजगार महानिदेशालय

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

भारत सरकार

विषय : 'राजभाषा हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग और हिंदी टाइपिंग टूल्स' पर हिंदी कार्यशाला

(तिथि : 10.03.2025 ; समय : सायं 3.00 से 5.30 बजे)

स्थान : सम्मेलन कक्ष, सी विंग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

1.	नाम	:
2.	पदनाम	:
3.	मातृभाषा	:
4.	हिंदी में शैक्षिक योग्यता	: मैट्रिक/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य
5.	शिक्षा का माध्यम	: अंग्रेजी/हिंदी/अन्य
6.	हिंदी का ज्ञान	: *कार्यसाधक/**प्रवीणता
7.	दूरभाष/मोबाईल सं	:
8.	ईमेल पता	:

***प्रवीणता**

हिन्दी में प्रवीणता का अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी ने -

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा कि समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

**** कार्यसाधक ज्ञान**

हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान का अर्थ है कि

(क) यदि किसी कर्मचारी ने -

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केंद्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।